नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 403 सन 2018

अनवान :–

1. सुरेश कुमार2 2. नरेश कुमार पि0 दलीप कुमार जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मनफुलराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. दलीप कुमार पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
3. रामकुमार पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
4. जयसिह पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
5. अनुपरी उर्फ अनिता पुत्री मनफुलराम जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
6. किरण पुत्री जयसिह पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 03.01..2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 146/143 के खसरा न0 238 की 4.2110हैक , खसरा न0 515/223 की 0.2530हैक खसरा न0 517/228 की 9.9020हैक , खसरा न0 520/222 की 6.5250हैक कुल तादादी 20.8910हैक भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज नन्दराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्र मनफुल के नाम से दर्ज हुई थी विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बूआ है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 5 ,6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 146/143 के खसरा न0 238 की 4.2110हैक , खसरा न0 515/223 की 0.2530हैक खसरा न0 517/228 की 9.9020हैक , खसरा न0 520/222 की 6.5250हैक कुल तादादी 20.8910हैक भूमि जो में वादीगण संख्या 1 ,2 प्रतिवादी संख्या 2 तीनों बहिब 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/3 हिस्सा , वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 दोनो बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 3/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official